बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री संतोष कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड– हाजीपुर, जिला– वैशाली के विरूद्ध राशन कार्ड धारियों के कार्ड में किरासन तेल की प्रविष्टि नहीं पाये जाने, आपूर्ति निरीक्षक द्वारा किरासन तेल आवंटन संबंधन एवं वितरण के पर्यवेक्षण में अनियमितता बरतने, जॉच के समय कोई ठोस स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने संबंधित अनियमितता, कार्य में लापरवाही, विभागीय निदेश की अवहेलना, सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक– 11.07.2018 को वैशाली जिले के निरीक्षण के क्रम में पायी गयी । श्री कुमार द्वारा बरती गयी अनियमितता, कार्य में लापरवाही, विभागीय निदेश की अवहेलना संबंधित गंभीर आरोपों के लिए उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली– 2005 के नियम 9(1)(क) के अन्तर्गत तुरन्त के प्रभाव से निलम्बित किया जाता है ।

2. निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय उपनिदेशक (खाद्य), का कार्यालय भागलपुर प्रमंडल भागलपुर रहेगा ।

3. निलम्बन अवधि में श्री संतोष कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड– हाजीपुर जिला– वैशाली को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली– 2005 के प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

ह0/–
(चन्द्रशेखर)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक–प्र08गो0आ0(वैशाली)–31/2018 3622 /खाद्य,पटना/दिनांक 27/07/18

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, वैशाली/अपर सचिव, वरीय प्रभारी, प्रशाखा–03, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/ उपनिदेशक (खाद्य), भागलपुर प्रमंडल भागलपुर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, वैशाली/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्री संतोष कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड– हाजीपुर, जिला– वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।